

13

14

25



बिहार सरकार
स्वास्थ्य, चि.शि. एवं प.क. विभाग

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक- 8 मई, 2006

स्वास्थ्य, चि.शि. एवं प.क. विभाग से सम्बंधित जन शिकायतों की प्राप्ति एवं निराकरण हेतु सचिव, स्वास्थ्य, चि.शि. एवं प.क. विभाग के अधीन एक जन शिकायत कोषांग का गठन किया जाता है। सचिव द्वारा प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 3.00 से 4.00 बजे के बीच जन शिकायतों की सुनवाई की जायेगी।

सचिव के अनुपलब्ध होने पर संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग जन शिकायतों की सुनवाई करेंगे। जन शिकायत कोषांग के प्रभारी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग होंगे।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 722 दिनांक 26 अप्रैल, 06 के आलोक में उक्त कोषांग का गठन किया गया है।

(दीपक कुमार)
सचिव

ज्ञापांक- 456(3),

पटना, दिनांक- 8 मई, 2006

प्रतिलिपि, मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चि. शि. एवं प.क. विभाग/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, स्वास्थ्य, चि.शि. एवं प.क. विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 456(3),

पटना, दिनांक- 8 मई, 2006

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रशासनिक सुधार आयुक्त, बिहार/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक- 456(5),

पटना, दिनांक- 8 मई, 2006

प्रतिलिपि, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव